उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी
...तीलाल जाट आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 667/2016

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
तहसीलदार,पचपदरा		1. सरंपचं, ग्रम पचायत नवोडा बेरा मलेखॉ वल्द लालेखॉ, शेरूखॉ, जमालखॉ, रिमजेखॉ, कमेखॉ, रिमजेखा, कमेखॉ, पिता अदरीमखॉ, मेहरी बेवा अदरीमखॉ मुसलमान सा. इन्द्रानगर जगमाल वल्द काम्मूखॉ कौम मुसलमान नवोडा बेरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

दिनांक 11.02.2017

आदेश

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आश्य का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्रम इन्द्रानगर–नवातला मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया लेकिन अनुपस्थित रहे व कोई जबाब पेश नही किया।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है। उक्त आवागमन के रास्ते को रास्ते के रूप मे दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जावे, मौका पर उक्त रास्ता /ग्रेवल सडक इन्द्रानगर–नवातला के खसरा नंबर 4426/1587, 4427/1659, 4428/1661, 1659, 1659, 4345/1661 मे चल रहा है।

अतः मौजा सराणा के विभाजन प्रस्ताव अनुसार खसरा नंबर 4426/1587, 4427/1659, 4428/1661,1659, 4345/1661 रकबा 1.10, 1.14, 0.10, 0.10 बीगा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, किन्तु बावजूद इत्तला कोई उज्र एतराज पेश नही किया।

भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा अक्स ट्रेस मे तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी मे भी किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर मौजा इन्द्रानगर –नवातला मे अवस्थित खसरा नंबर 4426/1587, 4427/1659, 4428/1661, 1659, 4345/1661 रकबा 1.10, 1.14, 1.05, 0.10, 0.10 बीगा परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। परिशिष्ट 'ब'नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक 11.2.2017 को सुनाया गया ।

(प्रभातीलाल जाट)
सहायक कलेक्टर ...कारी,
(S.D.O.) बालोतरा ...रा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
बालोतरा

Scanned by CamScanner